न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1475 दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी :-

1.टीकमाराम पुत्र हरखाराम, जाति भील निवासी महाबार, हाल हुरों का तला तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. मलूकाराम पुत्र मासिंगाराम, जाति मेगवाल निवासी मिठड़ाऊ 2.मंगलसिंह पुत्र सांवतसिंह 3.पवन कंवर पत्नि गोपसिंह, जाति राजपूत 4.हरखाराम पुत्र वीरमाराम, जाति भील निवासी नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 39/2021 दिनांक : **05.07.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नवातला जेतमाल के मौजा हुरों का तला के खेत खसरा सं. 332/264 रकबा 40.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1476 to 1479 दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी टीकमाराम
3. विप्रार्थीगण मलूकाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:27:50 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन